तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में ज
17/5/24	आज पत्रावली पेश हुई विकुलाय पक्षकारान उप० नहस सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 29/5/24 को पेश हो। [signature]	
29.5.24	आज यह पत्रावली पेश हुई वकुलाय पक्षकारान उप० प्रति० क्र० 2 द्वारा जवाब नहीं दिया गया जो दिया जावे पत्रावली दिनांक 31.5.24 को पेश हो। [signature]	
31-5-24 जवाब प्रतिवादी संख्या 2 की तरफ से पेश करना नहीं चाहते [signature]	आज यह पत्रावली पेश हुई वकुलाय पक्षकारान उप० प्रति० क्र० 2 के वकील द्वारा अवगत कराया है कि वे जवाब पेश करना नहीं चाहते हैं। उन्हें प्रा० पत्र पर सुना जाना वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 5-6-24 को पेश हो। [signature]	
05-06-24	आज यह पत्रावली पेश हुई वकुलाय पक्षकारान उभय प्रा० पत्र पर बहस सुनी गई निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल के बाद तकमील जावे दाखिल दफ्तर हो। [signature] सचिन यादव उपखण्ड अधिकारी भुसावर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— सचिन यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्याः 2/22 दायर दिनांकः 12.01.22

जीसीएमएस नं. 2022/10

1.द्रौपती पत्नि ज्वानसिंह, 2.सुगरवती पत्नि अतरसिंह जातियान गुर्जर नि. चैंटोली, तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—प्रार्थीगण

बनाम

1.राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.

2.ओमप्रकाश पुत्र लौहरे जाति कुम्हार (प्रजापत) नि. चैंटोली, तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राज. भू—राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता— 1.श्री छोटेलाल —प्रार्थीगण
2.श्री लेखराज चौधरी —प्रति. सं. 2
3.पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 05.06.2024

वादी प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 405/1 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम चैंटोली तह. भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है, जिसमें प्रार्थीगण वाहिस्सा बराबर 40/47 हिस्सा दर निस्फ के भाग के खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है। प्रार्थीगण ने उक्त आराजी पूर्व खातेदार गिर्राजी पत्नि लौहरे व अप्रार्थी सं. 2 ओमप्रकाश पुत्र लौहरे के 1/2 हिस्से में से 40/47 हिस्सा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.06.2004 को खरीद किया था। और तभी से प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी पर शान्ति पूर्वक काश्त करती चली आ रही है। तथा शेष 7/47 हिस्सा दर 1/2 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण आराजी के 7/94 हिस्से की आराजी पर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रार्थीगण ने उक्त आराजी खरीद करने के बाद नामा. सं. 649 दर्ज होकर जमाबन्दी संवत 2058—2061 में प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज हो गई। जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में संवत 2070—2073 तक प्रार्थीगण के नाम 40/94 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 2 ओमप्रकाश के नाम 7/94 हिस्सा के नाम खातेदारी का इन्द्राज दर्ज होता चला आ रहा है।

उक्त आराजी ख.नं. 405/1 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा का भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा नया आ.ख. नं. 550 रकबा 0.38 हैक्टे. बनाया गया। जिसकी जमाबन्दी संवत 2074—2074 को बनाते समय अप्रार्थी सं. 2 ओमप्रकाश 27/47 हिस्सा व प्रार्थीगण 20/47 दर हिस्सा 1/2 दर्ज करते हुए राजस्व कर्मचारियों की सहवन गलती से इन्द्राज गलत अंकित हो गया था। जो वर्तमान रिकॉर्ड तक गलत अंकित होता चला आ रहा है। जिससे प्रार्थीगण अपनी हिस्से की खातेदारी के इन्द्राज से महरूम हो रही है। और राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा देय सहायताओं से भी वंचित होना पड़ रहा है।

प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थिया सं. 1 द्रौपती के नाम 10/47 हिस्सा व प्रार्थिया सं. 2 सुगरवती के नाम 10/47 हिस्सा की खातेदारी दुरूस्त वाके ग्राम चैंटोली तह. भुसावर के राजस्व रिकॉर्ड में किये जावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। नोटिस की ताईद में अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री लेखराज चौधरी एड. द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा उन्होंने जवाब पेश नहीं करने बाबत अवगत कराया गया। तथा अप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपने जवाब में अवगत कराया कि राजस्व रिकॉर्ड में द्रौपती पत्नि ज्वानसिंह हिस्सा 10/47 एवं सुगरवती पत्नि अतरसिंह हिस्सा 10/47 जाति गुर्जर नि. चैंटोली व ओमप्रकाश पुत्र लौहरे हिस्सा 5/611 जाति कुम्हार नि. चैंटोली किया जाना प्रस्तावित है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

332

हमने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार, भुसावर का भली–भाँति अध्ययन किया गया। इनके आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में द्रौपती पत्नि ज्वानसिंह हिस्सा 10/47 एवं सुगरवती पत्नि अतरसिंह हिस्सा 10/47 जाति गुर्जर नि. चैंटोली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)